गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू.–15/सी.डब्लू/002/2026–655 दिनांकः 22–05–2026

::महत्वपूर्ण सूचना::

समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/05/2025 को जारी कार्यालय आदेश संख्या जी.बी.यू. –010/Acad./021/2025–119 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के परिपेक्ष्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्रावासों में निवास करने हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं के लिये निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन कर **(अतिआवश्यक कार्य की स्थिति में छात्र/छात्राओं को छात्रावास में ठहरने के आवेदनों पर विचार किया जायेंगा)** छात्रावास में रूकने/ठहरने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जोकि बिन्दुवार निम्नवत् हैः

- वे छात्र/छात्राएँ जिनका शोध प्रबन्ध/प्रोजेक्ट कार्य/इंटर्नशिप **(Dissertation/Project Work/Internship)** दिल्ली, (एन.सी.आर.), क्षेत्र में हो, उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा शोध प्रबन्ध/प्रोजेक्ट कार्य/इंटर्नशिप **(Dissertation/Project Work/Internship)** आदि करने का प्रमाण पत्र अपने सम्बंधित संकाय अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
- पी.एच.डी. **(Ph.D.)** छात्र/छात्रा जो इस अवधि में छात्रावास में रुकेंगे, उन्हें अपने आवेदन पर सम्बंधित सुपरवाइजर से संस्तुति कराने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।
- 08/06/2026 के उपरान्त केवल एक ही ग्रीष्मकालीन मेस का संचालन होगा, जिसमें **विद्यार्थियों को खाने के बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा।**
- ग्रीष्मकालीन अवधि में छात्रावास में रुकने की अनुमति केवल 15/07/2026 तक ही दी जायेगी। इसके पश्चात समस्त विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा, जिससे छात्रावासों में अनुरक्षण कार्य सुचारू रूप से हो सके।
- ग्रीष्मकालीन अवधि में केवल छात्र/छात्राओं को किसी एक छात्रावास में ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है। इस दशा में छात्र/छात्राओं को अपने वर्तमान छात्रावास को छोड़कर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आवंटित छात्रावास में जाना होगा।
- ग्रीष्मकालीन अवधि में रुकने वाले छात्र/छात्राओं द्वारा उक्त प्रक्रिया हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड) एवं संकाय अधिष्ठाता/सुपरवाइजर की संस्तुति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 06/06/2026 तक जमा करना सुनिश्चित करें।
- जिन छात्र/छात्राओं को ग्रीष्मकालीन अवधि में रुकने की अनुमति प्राप्त होगी, उन समस्त विद्यार्थियों के संज्ञान में यह भी लाना है कि इस दौरान छात्रावास के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र/छात्राओं के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान कोई छात्र/छात्रा बिना अनुमति के छात्रावास में निवासरत पाये जाते हैं, तो उक्त छात्र/छात्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय अध्यादेशों में वर्णित नियमों के अनुसार कानूनी/दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

for 22/05/26

(डा0 निधि सिंह)
मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (महिला)

22/5/26

(डा0 प्रदीप तोमर)
मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरूष)

Chief Warden Boys
Gautam Buddha University
Greater Noida, (U.P.)

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलपति महोदय, के स्तरक को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी छात्र कल्याण महोदय को सूचनार्थ।
4. समस्त संकाय अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों (पुरुष/महिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।